राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
नीलामी सूचना

क्रमांक एचसी / एसके / नीलामी / 2025—26 / 05 दिनांक : 31.05.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **माननीय उच्च न्यायालय, शताब्दी सर्कल, जोधपुर** में अधिवक्तागणों के भवन में स्थित तीन Canteen/Canteen with Terraces को तीन वर्ष के लिए **अनुज्ञप्ति** पर दिए जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2025 प्रातः 11.30 बजे तक जमा करवाये जा सकते है। **नीलामी दिनांक 13.06.2025** को **प्रातः 11:00 बजे माननीय उच्च न्यायालय परिसर, शताब्दी सर्कल, जोधपुर** में की जायेगी। नीलामी के नियम व शर्तें, आवेदन पत्र तथा विस्तृत विवरण कार्यालय की वेबसाइट https://hcraj.nic.in/hcraj/tender.php एवं https://sppp.rajasthan.gov.in उपलब्ध है। (अनुमानित मूल्य रूपये 7,18,368 / —)

UBN is RHC2526SSRC00004

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email – hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

नीलामी सूचना

क्रमांक एचसी / एसके / नीलामी / 2025–26 / 05 दिनांकः 31.05.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **माननीय उच्च न्यायालय, शताब्दी सर्कल, जोधपुर** में अधिवक्तागणों के भवन में स्थित नीचें वर्णित अनुसार तीन Canteen/Canteen with Terraces को तीन वर्ष के लिए **अनुज्ञप्ति** पर दिए जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं–

S. No.	Floor/ Floor WithTerrace	Chamber/ Terrace No.	Floor area Size as per site (Feet and Inches) (L X B)	**Monthly License Fee as per FRC**	**Reserve for**
1	Ground Floor	G-041 & G-042	26' x 19'4" (502.58 Sq. Ft.)	Rs. 11,147/-	Canteen
2	First Floor With Terrace	I-087 & I-088 (Floor)	23' x 22' (506 Sq. Ft.)	Rs. 25663/-	Canteen
		I-B (Terrace)	54' x 11'3.5" (609.75 Sq. Ft.)		
3	Third Floor With Terrace	III-066 & III-067 (Floor)	25'4" x 22' (557.26 Sq. Ft.)	Rs. 23054/-	Canteen
		3-B (Terrace)	54' x 11'3.5" (609.75)		

माननीय उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्तागणों के भवन में स्थित उक्त तीन Canteen/Canteen with Terraces की **नीलामी दिनांक 13.06.2025** को **प्रातः 11:00 बजे माननीय उच्च न्यायालय परिसर, शताब्दी सर्कल, जोधपुर** में की जायेगी। केबिनों का विस्तृत विवरण, उपयोग, नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं। आवेदन–पत्र इच्छुक व्यक्ति द्वारा खजांची, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से दिनांक 02.06.2025 से दिनांक 10.06.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 07:30 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक रूपए 500 / – का आवेदन पत्र शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 11.06.2025 प्रातः 11.30 बजे तक 'केन्द्रिय भण्डारगृह', राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में जमा करवाये जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट https://hcraj.nic.in/hcraj/tender.php एवं https://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ **'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर'** के नाम रूपए 500 / – का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के 'केन्द्रीय भण्डारगृह' में दिनांक 10.06.2025 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 07:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है । रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकता है।

आज्ञा से,

31/05/25

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।

आवेदन पत्र संख्या .... शुल्क :– रूपए 500/–

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email – hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

मानानीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर परिसर के अधिवक्तागणों के भवन में स्थित Canteen(G-041 & G-042), (I-087 & I-088 + 1-B), (III-066 & III-067 +3-B) को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. केंटिन क्रम संख्या (अनुग्लंक–1 अनुसार) :...
2. प्रार्थी का नाम :...
3. पिता/पति का नाम :...
4. फर्म का नाम :...
5. पता :...
   :...
6. मोबाईल नम्बर :...
7. ई–मेल आई.डी. :...
8. FSS Act, 2006 लाईसेंस नम्बर:...
9. GST No. :...
10. यदि आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउन लोड किया गया है, तो (रूपये 500/–) :(i) DD No.:......................... Date.................................
    (ii) Rs...
    (iii) Name of Bank ....
11. धरोहर राशि (रूपये 10,000/–) :(i) DD/Cash Receipt No.:.................. Date.................
    (ii) Rs...
    (iii) Name of Bank ....
12. बोली की राशि (प्रतिमाह) : रूपये ..../– प्रतिमाह

मैने/हमनें नीलामी सूचना में वर्णित सभी सुसंगत नियमों एवं शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा मैं/हम उक्त नियम और शर्तो से पूर्णतया सहमत है। इस सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार के होने वाले विवाद एवं विधिक दायित्व के लिये मैं/हम स्वयं जिम्मेदार होगें ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email – hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

Canteen/Canteen with Terraces को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु नीलामी की शर्ते

1. कैंटीन जहाँ है एवं जैसी है, की स्थिति में तीन वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेगीं।

2. बोली लगाने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि रूपये 10,000/– जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (**'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर'** के नाम जारी) आवेदन पत्र के संलग्न आवश्यक रूप से जमा करवाने होंगे, जो नीलामी उपरान्त नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दिये जायेंगे तथा नीलामी में सफल रहने पर अग्रिम जमानत राशि, धरोहर राशि में समायोजित कर ली जायेगी। उक्त के अभाव में आवेदन निरस्त माना जावेगा।

3. **नीलामी में सफल व्यक्ति को एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क (स्वयं के द्वारा लगाई गयी बोली की राशि अनुसार) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवाना होगा।** उक्त राशि कैंटीन को पुनः उच्च न्यायालय प्रशासन को सुपुर्द करने पर बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

4. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे प्रतिभूति राशि की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। यदि बोली लगाने वाला व्यक्ति 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नहीं करवाता है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में उच्च न्यायालय प्रशासन को यह भी अधिकार होगा कि वह द्वितीय अधिकतम बोलीकर्ता को संबंधित कैंटीन अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकेगा और उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार सभी शर्तो की पालना करनी होगी।

5. प्रतिभूति राशि की शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस के अंदर जमा करवानी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा पहले से जमा 25 प्रतिशत राशि भी राजस्थान उच्च न्यायालय के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।

6. कोई भी अपराधिक इतिहास/अपराधिक प्रवृति रखने वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। इस संबंध में आवेदन पत्र के साथ नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति/राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा जारी करवाकर सलंग्न करना होगा तथा साथ ही पुलिस वेरिफीकेशन रिपोर्ट भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। यदि आवेदन के समय पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो आवेदन पत्र के साथ एक शपथ–पत्र देना होगा कि यदि बोलीदाता को कैंटीन आवंटित होती है तो सफल बोलीदाता को आवंटन के 15 दिवस के भीतर स्वयं की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देगा।

7. सफल बोलीदाता केंटिन में नियुक्त किये गये कर्मियों के चाल–चलन एवं चरित्र के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। कर्मियों के चाल चलन एवं चरित्र से संबंधित पूर्व में यदि कोई आपराधिक रिकार्ड रहा हो तो उसे इस कार्य के लिये नहीं लगाया जावेगा। सफल बोलीदाता को उसके यहॉं कार्यरत कर्मीयो के चरित्र एवं निवास का सत्यापन आवश्यक रूप से पुलिस द्वारा करवाते हुये कर्मचारियों की सूची उच्च न्यायालय प्रशासन/भण्डारगृह एवं सम्बन्धित पुलिस चौकी को उपलब्ध करवानी होगी।

8. यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में स्वयं की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसका आवटंन रद्द करते हुये धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी और राजस्थान उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय अधिकतम बोलीकर्ता को संबंधित कैंटीन अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकेगा और उपरोक्त व्यक्ति अपनी बोली के अनुसार सभी शर्तो की पालना करेगा।

लगातार...........02

9. **पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)**

A. निविदा, फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/ मालिक/कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति का आवेदन भरने हेतु फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/ मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फर्म के निदेशकों/प्रोपराइटरों/साझेदारों/ मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

B. पंजीकरण:–

(a) बोलीदाता/फर्म को और खनपान/कैंटीन सेवाओं के लिये खाद्य लाइसेंस राजस्थान/अन्य राज्य के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act, 2006) के तहत जारी किया गया लाईसेंस होना चाहियें एवं वह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act, 2006) के नियम/उपनियमों एवं आदेशों की पालना करेगा।

(b) बोलीदाता/फर्म आयकर, जीएसटी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

(c) बोलीदाता का, जो भी विधिक अस्तित्व (legal entitiy) हो उसके अनुसार उसका पंजीकरण तत्समय प्रवृत विधि में होना चाहिए। पंजीकरण का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा।

(d) पंजीकरण प्रपत्र की स्वँय द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिये, जिसके अभाव में नीलामी निरस्त की जा सकेगी।

C. **कार्यानुभव**:– कैंटीन/रेस्टोरेंट का आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी सरकारी विभाग, न्यायालय, सरकारी/अर्द्ध सरकारी उपक्रम, विद्यालय, अस्पताल या अन्य कोई महत्वपूर्ण स्थान पर कैंटीन संचालन का कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण स्वरूप उचित दस्तावेज आवेदन के संलग्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

D. **मूल्य** : बोलीदाता को निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क रूपये 500/– एवं अग्रिम जमानत राशि रूपये 10,000/– आवश्यक रूप से जमा करवानी होगी, जिसे बिना आवेदन निरस्त समझा जायेगा।

E. **अन्य वांछित दस्तावेज**

(a) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड/पेनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

(b) फर्म के नाम से आवेदन करने पर अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड/पेनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र एवं साथ ही फर्म की जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं वांछित कार्य करने हेतु आवश्यक लाईसेंस की प्रति संलग्न करनी होगीं।

(c) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, आवेदन पत्र के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति/राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा जारी करवा कर संलग्न करना होगा।

F. **अनुलग्नक** :– बोलीदाता द्वारा अपने लैटर हैड पर निर्धारित प्रारुप **(अनुग्लंक–4)** में undertaking प्रदान करेगा जिसमें वह स्पष्ट रूप से आवेदन के साथ लगाये गये प्रप्त्रों/दस्तावेजों के सत्य होने को उल्लिखित करेगा साथ ही बोलीदाता यह भी प्रमाणित करेगा कि बोलीदाता फर्म को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं किया गया है।

लगातार...........03

10. **कैंटीन में शत प्रतिशत शुद्ध शाकाहारी खाद्य सामग्री की ही बिक्री की जायेगी** एवं बिक्री किये जाने वाले सभी खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थो की बिक्री कार्यालय के सक्षम अधिकारी/समिति द्वारा अनुमोदित की गई दर अनुसार की जायेगी। केंटिन में बेची जानी वाली वस्तुओं की मूल्य सूची उचित स्थान पर प्रदर्शित करनी होगीं साथ ही केंटिन में बेची जाने वाली वस्तुत की कीमतें उद्धृत मूल्य (MRP) से अधिक नहीं होना चाहिये। दरों में आवश्यक बदलाव सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

11. केंटिन में बनने वाली खाद्य सामग्री स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में तैयार की जाने होगी एवं इनको बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली एवं खाद्य मानकों के अनुरूप होनी चाहियें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि केंटिन में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला भोजन परोसें जावें। इसके लिये समय-समय पर सम्बन्धित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगा। कैंटिन में निर्मित कर विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की दरों का निर्धारण एवं इसमें बदलाव या परिवर्तन सक्षम स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

12. केंटिन में गर्मीयों में वाटर प्यूरीफायर/फील्टर से प्राप्त पीने के लिये ठण्डे पानी की व्यवस्था करनी होगी।

13. केंटिन में दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसें नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय, कॉफी कोल्ड ड्रिंक आदि की आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है खाद्य पदार्थो की खपत के लिये कोई न्यूनतम गारंटी नही दी जायेगी।

14. जिस उद्देश्य हेतु कैंटीन की नीलामी की जायेगी, वह कैंटीन उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग में लिया जायेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं।

15. रसोई, डाइनिंग हॉल, बर्तन एवं बर्तन धोने की जगह को हमेशा साफ-सुथरी होनी चाहिये। प्रत्येक भोजन (नाश्ते एवं दोहपर के भोजन) के बाद सभी प्लेटें, पानी की गिलास, जग, कप, कटोरी कांटे चाकू आदि साबुन के घोल और पानी से साफ किये जाने चाहिये और सुखाकर अगले भोजन के लिये तैयार रखे जाने चाहिये। खाना पकाने के लिये उपयोग में लिये गये बर्तन भी इसी प्रकार साबुन के घोल और पानी से साफ किये जाने चाहिये।

16. कैंटीन में एकत्र किये गये बायो-डिग्रेबल कचरे एवं गैर-बायो-डिग्रेबल कचरें के संग्रहण की अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिये एवँ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थान पर ही कूडा-कचरा डाला जायेगा।

17. बोली में सफल व्यक्ति कैंटीन की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही कैंटीन की भौतिक स्थिति को कोई नुकसान पहुचायेगा।

18. नीलामी हेतु निर्धारित कैंटीन/स्थान को कार्यालय समय में नियमानुसार टोकन/पास/अनुमति प्राप्त कर देखा जा सकता है तथा बोली लगाने वाले व्यक्ति का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व नीलामी हेतु निर्धारित कैंटीन/स्थान का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

19. अनुज्ञप्ति शुल्क के निर्धारण के लिए वर्ष अंग्रेजी कलेण्डर वर्ष माना जायेगा।

20. उक्त कैंटीन का **निर्धारित न्यूनतम मूल्य (मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क) अनुग्लंक -1 में अंकित किया गया है।** कैंटीन के लिए लगाई गई बोली बन्द लिफाफे में पेश करनी होगी। कैंटीन का आवंटन अधिकतम बोली दाता को किया जायेगा। कैंटीन विशेष हेतु एकाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली राशि समान होने पर उन सभी व्यक्तियों के मध्य खुली नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले को कैंटीन आवंटन किया जायेगा।

21. कैंटीन आवंटन सर्वप्रथम तीन वर्ष के लिये किया जायेगा, जिसे नियमानुसार अधिकतम तीन माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन का होगा।

लगातार..........04

22. वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा कैंटीन आवंटी को विद्युत, इन्टरनेट एवं फोन कनेक्शन स्वयं के खर्चे पर प्राप्त करना होगा।

23. नीलामी की गई कैंटीन का कब्जा सफल व्यक्ति/फर्म को तभी दिया जायेगा, जब उसके द्वारा समस्त शुल्कों (अग्रिम जमानत/धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि एवं आवेदन शुल्क) का पूरा भुगतान कर दिया गया हों।

24. बोली में सफल व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय के साथ विधि अनुसार अनुज्ञप्ति अनुबंध निष्पादित करना होगा। (अनुग्लंक–3)

25. कैंटीन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आवंटनकर्ता की होगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

26. कैंटीन का संचालन कार्यालय समय से एक घण्टा पूर्व से लेकर एक घण्टा पश्चात तक किया जायेगा। इसके पश्चात संचालन नहीं किया जायेगा, अन्यथा यह आवंटन निरस्तीकरण का आधार बन सकता है।

27. कैंटीन में बैठने एवं खाने–पीने हेतु पर्याप्त मात्रा में टेबल–कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहियें। इसके अतिरिक्त हवा हेतु पर्याप्त मात्रा में पंखे–कूलर इत्यादी की व्यवस्था करनी होगीं।

28. सफल बोलीदाता को स्वयं के नाम से बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन कर कनेक्शन प्राप्त करना होगा। यदि कोई आवंटी किसी विशेष प्रकार के बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन की पूर्वानुमति से स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबन्ध कर सकता है। समस्त विद्युत खर्चे का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा। इस स्थिति में कैंटीन को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा या ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं कारित की जायेगी, यदि कोई क्षति हो जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को करनी होगी।

29. सफल बोलीदाता अनुबन्ध में उल्लेखित नियमों एवं शर्तो के प्रावधानों की पालना किये जाने में विफल रहता है तो कार्यालय अगली उच्च बोली लगाने वाले या किसी अन्य बाहरी एजेन्सी के साथ अनुबन्ध किये जाने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा एवं अन्तर की राशि सफल बोलीदाता से वसूल किया जायेगा।

30. जिस व्यक्ति को कैंटीन अनुज्ञप्ति पर दिया जायेगा, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को वह कैंटीन संचालन हेतु नहीं देगा।

31. कैंटीन का विक्रय, हस्तांतरण, उपपट्टा (सबलेट), अन्यसंक्रमण नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा।

32. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को, बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में किसी भी Canteen का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

33. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तो की अनुपालना नहीं की जाती है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

34. कार्यालय आवेदन पत्र में भर गये सभी तथ्यों एवं उसके संलग्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की त्रुटि/जालसाजी पाये जाने पर उसे नीलामी अनुबन्ध का उल्लंघन मानते हुये आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

35. सफल बोलीदाता को सप्लाई आदेश प्राप्ति के सात दिवस के भीतर निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पर कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारुप में अनुबन्ध–पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। इसका व्यय सम्बन्धित बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।

लगातार...........05

36. अनुबन्ध की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार/बोलीदाता को मान्य होगा। सभी कानूनी कार्यवाहियां, यदि उत्पन्न हो, तो उनकी दायरी/विचारण/सुनवाई का क्षेत्राधिकार जोधपुर शहर में स्थित सक्षम न्यायालय का होगा।

37. न्यूनमत दैनिक मजदूरीः– ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा अपने कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दिये जाने की अण्डरटेकिंग देनी होगी। इस संबंध में समय समय पर जारी सभी राजकीय अनुदेशों की पालना की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। वर्तमान में वित विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 संख्या 1/2018 दिनांक 30–04–2018 की पालना करना जरूरी होगा।

38. बाल श्रमिकों को संविदा कार्यों में नहीं लगाया जायेगा।

39. कैंटिन में कार्यालय द्वारा स्थापित के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अग्नि शमन यंत्र लगाने होगें।

40. सफल बोलीदाता, यदि अनुबन्ध को बीच में छोड़कर चला जाता है अथवा निर्धारित अवधि तक अनुबन्ध की नियम–शर्तों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति/जमानत राशि को जब्त करने का अधिकार होगा।

41. राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।

42. उपरोक्त नीलामी की शर्तो के विषय में दोनों पक्षों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सामान्य लेखा एवं वितीय नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 अनुसार विवाद का निस्तारण किया जायेगा।

43. नीलामी के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

44. अन्य शर्ते इस कार्यालय द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 14/एस.ओ./2021 दिनांक 21.12.2021 (कार्यालय की वेबसाइट उपलब्ध) जारी "GUIDELINES FOR ALLOTMENT AND USE OF BUILDING/SPACE IN COURT PREMISES FOR PUBLIC UTILITY SERVICE-2021" के उपबन्ध व संलग्न परिशिष्ठों में वर्णित विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्ते लागू होगी एव अनुज्ञप्ति उक्त उपबंध व शर्तो एवं नीलामी के साथ लगें अनुग्लंक **–2** के अनुसार होगी।

आज्ञा से

31/5/25

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email – hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

अनुग्लंक – 1

क्रमांक	:	एचसी / एसके / नीलामी / 2025–26 / दिनांक .2025
विषय	:	त्रैवार्षिक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु Canteen की नीलामी
संख्या	:	तीन Canteen
नीलामी की तिथि	:	....
स्थान	:	अधिवक्तागण भवन परिसर, राजस्थान उच्च न्यायालय, शताब्दी सर्किल के पास, झालामण्ड, जोधपुर

कैंटीन का विस्तृत विवरण :

S. No.	Floor/ Floor WithTerrace	Chamber/ Terrace No.	Floor Dimensions (L X B)	**Monthly License Fee as per FRC**	**Reserve for**
1	Ground Floor	G-041 & G-042	26' x 19'4" (502.58 Sq. Ft.)	Rs. 11,147/-	Canteen
2	First Floor With Terrace	I-087 & I-088 (Floor)	23' x 22' (506 Sq. Ft.)	Rs. 25663/-	Canteen
		1-B (Terrace)	54' x 11'3.5" (609.75 Sq. Ft.)		
3	Third Floor With Terrace	III-066 & III-067 (Floor)	25'4" x 22' (557.26 Sq. Ft.)	Rs. 23054/-	Canteen
		3-B (Terrace)	54' x 11'3.5" (609.75)		

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email – hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

अनुलंक – 2

General Terms and Conditions for Canteen/Confectionary Shop

1. **Eligibility for running a canteen**

   The bidder must have an experience of running Canteen in Government Departments, Courts, Government Undertakings, Schools, Hospitals or any other important place for at least a period of 3 years.

2. **Price of Food Items**

   (i) Before initial setup of the Canteen, the vendor shall submit the list of food items to be sold in the canteen with their quantity and proposed price for approval of Hon'ble Building Committee.

   (ii) Food Items in the canteen shall not be sold for more than the maximum retail price (MRP) or the price so approved by Hon'ble Building Committee from time to time.

   (iii) No item other than those approved by Hon'ble Building Committee shall be sold in the canteen.

   (iv) The price of various food items could be revised only after the prior approval of Hon'ble Building Committee.

3. **Display of Price List**

   The allottee shall display the price list of all the food items at a conspicuous place in the canteen.

4. **Quality of Food items in canteen**

   (i) The allottee shall maintain all hygiene, cleanliness and quality of food stuff.

   (ii) The beverages and food-stuffs may be checked from time to time by Hon'ble Building Committee or with the help of Food Inspector of the area.

   (iii) All food safety standards under prevalent Laws, Circulars and Directions shall be followed by the allottee.

5. **Service Conditions of Workmen**

   (i) The service conditions safety insurance etc. of the workmen employed in the Canteen shall be governed by the law for the time being in force governing such workmen failing which appropriate steps may be taken against him including termination of the agreement.

   (ii) The employees, working in the canteen shall wear uniform prescribed by respective Building Committee.

6. **Furniture and other required infrastructure**

   Furniture and other infrastructure required for setting up and running the canteen will be arranged by the allottee.

7. Agreement would be liable to be cancelled or terminated by the High Court without assigning any reasons.

8. Other relevant conditions may be incorporated as per local requirements.

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email – hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

अनुलंक – 3

Form of Agreement
(on Rs. 500/- non-judicial stamp)

I _________________ Son/Daugher/Wife of _____________ aged ________ years, Resident of ______________________Tehsil____________________ District____________ hereby execute this deed of agreement in favour of the Registrar (Administration), RHC, Jodhpur, in respect of leasing of ___________in the Premises of Rajasthan High Court, Jodhpur Premises_________________________ subject to the following terms and conditions, which shall be binding upon me:-

(1.) That I shall be the licensee of the above building/ space for a period of ________ commencing from ________________to ________________.

(2.) That I have deposited 1/4th of the License Fee on _______________ and the balance has been paid by me on __________________ .

(3.) That I shall keep no livestock in the Court Premises.

(4.) That I shall make no permanent addition or alteration of any sort to the building/ space allotted to me. The temporary structures over the allotted space will be raised by me after approval of Hon'ble Building Committee and after afflux of the licence, I shall remove the same within seven days positively.

(5.) That I shall afford ample protection for the approved foodstuff and other eatables.

(6.) That in case of a breach of any of the terms and conditions of the guidelines as well as the above cited conditions on my part, the High Court Administration may cancel the license without any further notice and that I shall not be entitled to claim a refund from the money deposited and that I shall compensate the High Court Administration for the loss suffered on account of releasing of the building/ space.

(7.) That on the termination of agreement by efflux of time or otherwise, I shall vacate the space forthwith and not later than 7 days failing which the possession will be taken by Hon'ble Building Committee. No further notice of ejectment will be necessary.

(8.) All the terms and conditions appended with NIT will be part and parcel of the agreement.

(9.) That it will be binding upon me to follow the rules and guidelines made for this purpose.

In witness whereof, I _____________________ subscribe my name at _____________ this ___ _____________ day of _____________.

Witnesses:-

1.________________________

2. ________________________

Signature of licensee

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Phone No. 0291-2888500-504 (Store 2888385) Fax: 2888080, Email – hc-rj@nic.in, store-rhc@hcraj.nic.in

अनुग्लंक – 4

घोषणा पत्र

(फर्म द्वारा स्वय के लेटर हेड पर घोषणा पत्र)

मेरे/हमारें द्वारा घोषणा की जाती है कि कार्यालय नीलामी क्रमांक एचसी/एसके/नीलमी/2025–26/05 दिनांक 31.06.2025 का नीलामी सूचना तथा इसके सलग्न समस्त प्रपत्रों, जानकारी एवं शर्तो को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि नीलामी सूचना के सम्बन्ध में श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का निर्णय हमारे लिये अन्तिम एवं मान्य होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा नीलामी में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है । उक्त कार्य से सम्बन्धित हमारे यहॉ अनुभवी एवं तकनीकी कर्मचारी भी उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वायतशासी संस्थान/ निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप नीलामी सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी अमानत (Earnest Money)/प्रतिभूति (Security Deposit) को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा नीलामी को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
मय पता सील मोहर